न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस
मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 375/2017

प्रार्थीगण :–

1. किशना पुत्र चन्दीया
2. भूरा पुत्र चन्दीया
3. कालू पुत्र चन्दीया
4. गोमा पुत्र चन्दीया
5. कुनणी बेवा चन्दीया सभी जातियान मेगवाल निवासीयान गांव पतासर जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. कालूराम पुत्र निम्बाराम
2. पुरखाराम पुत्र राणाराम जाति जाट
3. जालमपुरी पुत्र हिमतपुरी जाति गोस्वामी
4. मांगाराम पुत्र भुराराम
5. प्रहलादराम पुत्र केहराराम
6. गोकलराम पुत्र रूपाराम
7. किशनाराम पुत्र रूपाराम
8. हुकमाराम पुत्र बींजाराम
9. आदाराम पुत्र देवाराम
10. बाबुराम पुत्र पुरखाराम सभी जाट निवासीयान पतासर तह0 पचपदरा
11. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

(S.D.O.) अधिकारी

उपस्थित :– 1. श्री सुरेशनारायण वकील

'आदेश'

दिनांक :– 20-12.2017

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत के पत्थरगढी हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा ग्राम पतासर पटवार क्षेत्र बाणियावास तह0 पचपदरा में खेत खसरा न0 300 रकबा 29 बीघा 09 विस्वा किस्म बा. सो खसरा न0 306 रकबा 11 विस्वा किस्म गैर मुमकिन व खसरा न0 307 रकबा 68 बीघा 08 विस्वा व खसरा न0 290 रकबा 48 बीघा 03 विस्वा किस्म बा. सोयम प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की आयी हुई जिसक पडौस में विप्रार्थीगण सं. 1 ता 10 की भूमि आई हुई है। मे प्रार्थी की सम्पूर्ण खातेदारी के स्थित है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा कास्त है।विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 की खातेदारी भूमि आई हुई है जिससे विप्रार्थीगण सं. 1 ता 10 खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा बरसात के समय में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अक्सर सेढों को लेकर विवाद करते रहते है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पैमाईश एवं नेखबंदी करवाना चाहते है।प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस दिनांक 28.06.2017 को तलब किया गया । विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 सम्मन बाद तामिल के बावूजद अनुपस्थित अतः उक्त के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस को सुना गया। प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेख्मबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगणकी दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि का पेमाईश एवं नेख्मबदी करने हेतु भूमापक भू0निरीक्षक बागावास को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो वो दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है । भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। तहरीर जारी हों भू–मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बालोतरा
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner